

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-व-15(38)आर.पी.ए./जन/तरणताल/2024-25/ 3184

दिनांक:- 12.6.25

खुली बोली आमंत्रण सूचना

अकादमी परिसर में स्थित तरणताल की साफ-सफाई एवं रख रखाव हेतु दिनांक06.2025 से 31.10.2025 तक की अवधि के लिए दर संविदा की जानी है, जिसके लिए मोहरबन्द बोलियाँ आमन्त्रित की जाती हैं। बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान सरकार के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं तथा इच्छुक निविदादाता द्वारा दिनांक 12.06.2025 से 23.06.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड कर दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं जिसके लिए निविदा फॉर्म शुल्क तथा बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा। -

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	संस्था स्थित तरणताल के साफ-सफाई एवं रखरखाव (संलग्न सूची के अनुसार)	4.25 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत * 8500/-डी.डी. के माध्यम से	500/- रु.0 *	23.06.2025 साय: 02.00 बजे

*-राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 1 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।

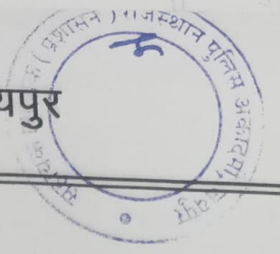
संलग्न- बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
5. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
6. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. संचित निरीक्षक (प्रशासन/क्वार्टर मास्टर) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
9. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।



निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

- कार्य का नाम:- अकादमी परिसर में तरणताल साफ-सफाई एवं रख रखाव के लिए दर संविदा 2025-26।
- निविदा संख्या / 2025-26 दिनांक.....
- निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जाएं।
- (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई-मेल सहित:-
ई-मेल आई.डी.....
(ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....मोबाईल नं.....
- निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रुपये 500/- का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/रसीद संख्या/.....दिनांक.....संलग्न है।
- बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रु. /-का बैंकर चैक/ड्राफ्ट संख्या..... दिनांकसंलग्न है।
- निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
- निविदा खुलने की तिथि से दरों की विधि मान्यता अवधि 90 दिवस होगी।
- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है:-

क्र.सं.	विवरण	निविदा में संलग्न दस्तावेज की पृष्ठ संख्या
1.	PAN Card व Address Proof प्रमाण पत्र	
2.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
3.	राजकीय कार्यालय में एक वर्ष के तरणताल कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र	
4.	गत तीन वर्ष का GST और I.T रिटर्न	
5.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-23 व 2023-24 में वार्षिक राशि 5.00 लाख का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा टर्नओवर C.A द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिस पर UDIN नम्बर अंकित हो। बिना UDIN नम्बर के टर्नओवर प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
6.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रुपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)	

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in



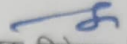
7. समस्त दस्तावेज पर फर्मदाता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।

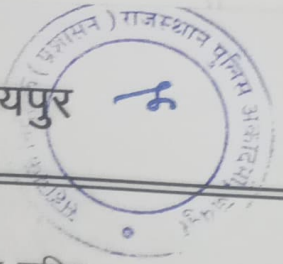
- निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
निविदादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।
10. निविदा सूचना संख्या /2024-25 दिनांक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत हैं। निविदा की अन्य शर्तें, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
11. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
12. बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-23 व 2023-24 में वार्षिक राशि 5.00 लाख का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा टर्नओवर C.A द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जिस पर UDIN नम्बर अंकित हो। बिना UDIN नम्बर के टर्नओवर प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. निविदादाता राशि डी.डी. से जमा करवाकर राजस्थान पुलिस अकादमी कार्यालय से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
14. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रुपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
15. तरणताल के रख-रखाव एवं साफ सफाई मय केमिकल व सेक्शन स्वीपर मशीन, पाईप, एवं सफाई कर्मी निविदादाता द्वारा ही उपलब्ध करवाना होगा। (तरणताल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए 90 TCCA क्लोरिन ग्रेन्स (675 कि.ग्रा.), ऐन्टी एलगी केमीकल (675 कि.ग्रा), फिटकरी पाउडर (450 कि.ग्रा), लाल दवा (6.7 कि.ग्रा), नीला थोथा (6 कि.ग्रा), झाड़ू पोछा, आवश्यकतानुसार (1500 प्रति माह), कपूर की गोलिया (4.5 कि.ग्रा), फिनायल (काली वाली) (9 लीटर), बॉस नग 15 फिट लम्बाई (10 नग), साफ-सफाई के लिये सेक्शन मशीन, पाईप, रस्सी फर्म दाता की होगी, मैन पॉवर 3 श्रमिक।
16. मैन पॉवर (3 स्वीपर) साफ-सफाई के लिये सेक्शन मशीन, पाईप, रस्सी इत्यादि सामान निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी) प्रशिक्षित श्रमिक होने चाहिए।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

17. निविदादाता को सरकारी विभाग में/स्वायत्त शासित संस्थाओं/अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में जिसके लिए समान कार्य का अनुभव होना चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु कार्यादेश/कार्यानुभव प्रमाण-पत्र/ कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।


सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।



(वित्तीय बिड)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई-मेल सहित:-

ई-मेल आई.डी.....
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाममोबाईल नं.....

2. निविदा में अंकित समस्त शर्तों की पालना करते हुए तरणताल रख-रखाव की दरें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:-

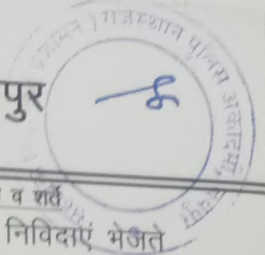
क्र.सं.	कार्य	प्रतिमाह	दर रूपयों में GST सहित
1.	90 TCCA क्लोरिन ग्रेन्स (675 कि.ग्रा)		
2.	ऐन्टी एलगी केमीकल (675 कि.ग्रा)		
3.	फिटकरी पाउडर (450 कि.ग्रा)		
4.	लाल दवा (6.7 कि.ग्रा)		
5.	नीला थोथा (6 कि.ग्रा)		
6.	झाड़ू पोछा, आवश्यकतानुसार	1500	
7.	कपूर की गोलिया (4.5 कि.ग्रा)		
8.	फिनायल (काली वाली) (9 लीटर)		
9.	बॉस नग 15 फिट लम्बाई (10 नग)		
10.	साफ-सफाई के लिये सेक्शन मशीन, पाईप, रस्सी फर्म दाता की होगी।		
11.	मैन पॉवर 3 श्रमिक		

3. निविदा सूचना संख्या...../ 2024-25 दिनांकको राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है मैं वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये भी हम सहमत हैं एवं उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों को जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है। जिसके समस्त पृष्ठों पर उसमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

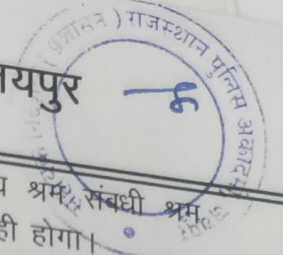
www.rpa.rajasthan.gov.in



- संस्था स्थित तरणताल में साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु निविदा वर्ष 2025-26 के नियम व शर्तें
1. निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएं भेजते समय उनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें।
 1. यह निविदा द्वि-प्रक्रमी () निविदा के रूप में आमंत्रित की गई है:-
 1. तकनीकी निविदा
 2. वित्तीय निविदा
 2. निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में होगी। एक लिफाफा जिस पर तकनीकी बिड अंकित होगा जिसमें निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, बिड सिक्योरिटी राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक सहित तकनीकी बिड में विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र रखे जावें। दूसरा लिफाफा, जिस पर वित्तीय बिड अंकित होगा इस लिफाफे में वित्तीय बिड के निर्धारित प्रारूप में दर अंकित की जाकर रखा जावें। दोनों लिफाफे पृथक-पृथक बंद किये जाकर एक बड़े लिफाफे में रखे जाकर बड़े लिफाफे पर जॉब बेसिस पर विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु निविदा अंकित करते हुए मुहर बन्द किया जाकर निविदा प्रस्तुत की जावें।
 3. (अ) तरणताल के रख-रखाव एवं साफ सफाई मय केमिकल व सेक्शन स्वीपर मशीन, पाईप, एवं सफाई कर्मी निविदादाता द्वारा ही उपलब्ध करवाना होगा। (तरणताल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए 90 TCCA क्लोरिन ग्रेन्स (675 कि.ग्रा.), ऐन्टी एलगी केमिकल (675 कि.ग्रा, फिटकरी पाउडर (450 कि.ग्रा), लाल दवा (6.7 कि.ग्रा), नीला थोथा (6 कि.ग्रा), झाड़ू पोछा, आवश्यकतानुसार (1500 प्रति माह), कपूर की गोलिया (4.5 कि.ग्रा), फिनायल (काली वाली) (9 लीटर), बॉस नग 15 फिट लम्बाई (10 नग), साफ-सफाई के लिये सेक्शन मशीन, पाईप, रस्सी फर्म दाता की होगी, मैन पॉवर 3 श्रमिक।
 4. राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित तरणताल के रख-रखाव के लिए श्रमिकों की 24 घण्टे उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं किसी प्रकार की बाधा आने पर उसे अविलम्ब दुरुस्त किया जाना होगा।
 5. संवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। निविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए निविदा मूल्य 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। प्रतिभूति की राशि निविदा अवधि पूर्ण होने की तारीख से दो माह पश्चात् लौटा दी जायेगी। निविदा समाप्ति पर यदि संवेदक के विरुद्ध कोई बकाया निकलता है तो उसकी कटौति प्रतिभूति राशि से की जावेगी। प्रतिभूति की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने एवं नियत कालावधि में इकरारनामा निष्पादित करने विफल रहने की स्थिति में संवेदक द्वारा नियम तथा शर्तों को भंग माना जायेगा तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
 6. संवेदक के श्रमिक इस संस्था के कर्मचारी नहीं होंगे एवं उन पर राज्य सरकार के सेवा नियम लागू नहीं होंगे। ये कार्मिक संवेदक के कर्मचारी होंगे।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

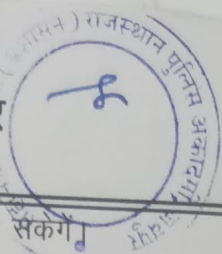
www.rpa.rajasthan.gov.in



7. राजस्थान अनुबंधित (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं अन्य श्रम संबंधी श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार कार्य कराने का दायित्व भी संवेदक का ही होगा।
8. संविदा पर लगे श्रमिकों की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना/घायल/अंपग हो जाता है। तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिए निदेशक, आर.पी.ए. किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. तरणताल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव कर संबंधित प्रभारी से संतोषप्रद कार्य की रिपोर्ट प्राप्त करके उपकरण सम्भालना होगा। निविदा की अवधि समाप्त होने से पर सभी उपकरण सही हालत में सम्भालने होंगे।
10. किसी भी स्तर/परिस्थिति में निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्तारकर्ता को होगा।
11. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए निविदा को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
12. यह निविदा केवल 31 अक्टूबर 2025 के लिए आमंत्रित की गई है। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में आर.टी.पी.पी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निविदा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
13. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को तकनीकी बोली के साथ जमा कराना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
15. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर उपापन की लागत की 5 प्रतिशत की दर से कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

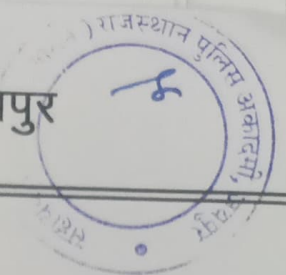
www.rpa.rajasthan.gov.in



17. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
18. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेंगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29 (2-ज) प्रभावी होगा।
19. अगर दरों में गणितीय त्रुटी पाई जाती है तो शब्दों अंकित दर मान्य होगी।

A. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :-

1. उपाप्त की जाने वाली सेवाओं हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
2. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि कार्य यथासमय नहीं किया जाता है, अथवा कम कार्य किया जाता है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से कार्य करवा लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
3. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।



A. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओं की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओं द्वारा "वित्तीय प्रस्ताव" में प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
3. "वित्तीय प्रस्ताव" में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।
4. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, अकादमी आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है।
5. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार (यदि लागू हो) तो पृथक-पृथक दर्शाया जावे। प्रभार पृथक से नहीं दर्शाये जाने पर प्रस्तुत दरें समस्त प्रभारों सहित मानी जाएंगी। नियमानुसार जी. एस. टी. राशि (यदि लागू हो) का भुगतान पृथक से देय होगा।
6. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर न्यूनतम से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

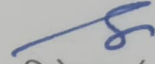
B. अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी सहायक निदेशक प्रशासन, आरपीए, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक "स")। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि ₹रूपये 2500/- एवं राशि रूपये 10000/- निर्धारित है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।


सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

शपथ पत्र

मैं

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

पूर्ण पता

टेलीफोन नं.